

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2020 -21/ 6370
निमित्त,

दिनांक : 1.10.2020

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :- Diversion of 0.016 ha. Of forest-land in favour of Public Health Engineering Department Chittorgarh for Amrut Yojana (FP/RJ/WATER/35465/2018)

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ () वसु/मुवसं/2020/4312 दिनांक 26.8.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Diversion of 0.016 ha. Of forest land in favour of Public Health Engineering Department Chittorgarh for Amrut Yojana (FP/RJ/WATER/35465/2018) में प्रासंगिक पत्र से लगाये गये आक्षेपो की बिन्दुवार पूर्ति निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र.सं.	बिन्दू	प्रत्युत्तर
1	आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित कर, नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु प्रेषित की गई है। प्रस्ताव में 0.016 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है जिसमें कुल 33 वृक्षों का पातन किया जाना है। नियमानुसार राज्य सरकार एक हैक्टर से कम वाले प्रस्ताव पर विचार करती है, जिनमें अनुपातिक रूप से 50 वृक्षों के पातन से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा हो, चूंकि उक्त प्रस्ताव 0.016 है में कुल 33 वृक्षों का पातन किया जा रहा है जो अनुपातिक रूप से अधिक है। इसलिये उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार के स्तर से विचार किया जाना होगा।	उक्त बिन्दू का प्रत्युत्तर इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर उच्च कार्यालय से संबंधित है। इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
2	नोडल अधिकारी, एफसीए राजस्थान जयपुर ने उक्त पत्र से स्पष्ट अंकित नहीं है कि उक्त प्रस्ताव पर विचार राज्य सरकार द्वारा किया जाना है अथवा स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किया जाना है।	उक्त बिन्दू का प्रत्युत्तर इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर राज्य सरकार से संबंधित है।
3	उक्त प्रस्ताव के साथ KML file की सीडी सलग्न नहीं है, जिसके अभाव में प्रस्ताव को विचार किया जाना संभव नहीं है।	उक्त प्रस्ताव के साथ KML file आनलाईन की गई है। अतः पृथक से सीडी सलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

भववीय

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2020-21/ 6371

प्रतिलिपि :- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, FCA राजस्थान, जयपुर ।

दिनांक : 1.10.2020

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़